

मूल वाद में डिग्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठरीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठरीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

उपनाम

अजय कुमार

यनाम

बलविन्द्र झादि

दावा बाबत :- 88 RTACT

मुकदमा नम्बर :- 204/21

निर्णय दिनांक :- 23.11.21

वादी की ओर से वकील राजेश वैनीवाल की व प्रतिवादी सं० 1 व 2 की ओर से वकील जयवीर वैनीवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23.11.21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि दोही में जन्मक व बरानी के मु.न. 38 के किला नं. 5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, कुल 0.4690 है. बरानी 0.4300 है. जं. मु. रास्ता 0.039 है. प्रतिवादी सं. 1 के नाम से ल. नक 5 डीपीएन के खता. 8/1 के मु.न. 29 के किला नं. 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/7, 14 ता 17, 24, 25 कुल 2.4800 है. जं. मु. खाला 0.0500 है. मु. न. 30 के किला 11 ता 21 कुल 2.7830 है. नही कुल 5.3130 है. नही 5.2630 है. जं. मु. खाला 0.0500 है. जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम 16/21 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है. मैं से प्रतिवादी सं. 1 बलविन्द्र के बजाए वादी अजय कुमार व प्रतिवादी सं. 1 बलविन्द्र व प्रतिवादी सं. 2 जयवीर को बहिस्सा बराबर के दवातेदार कार्रतकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमी बैंक के रहन हो तो रहन मुह्र होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल दामद किया जावे। शहीनामा से डिग्री का भाग पढा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिग्री आज दिनांक 23.11.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(शकुंतला चौधरी)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़